

क्र.सं. 3

राजस्थान सरकार
उद्योग(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प15(1)आयु.उ./E.M.अनु./DO-पत्र/2008 दिनांक: 3 MAY 2011

:- आदेश :-

विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक 5(2)2010-सू.ल.म.उ.नीति दिनांक 21.2.2011 से निर्देशित किया है कि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के अवकाश पर/अनुपस्थित होने की स्थिति में केवल उद्यमी ज्ञापन भाग-1 एवं भाग-1A को स्वीकार करने व अभिस्वीकृति सूचना जारी करने के लिए महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के किसी एक अधिकारी के पद को जिसका स्तर जिला उद्योग अधिकारी के पद से निम्न ना हो, को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के स्तर के बराबर घोषित कर दें।


अतः भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया जाता है कि जिला उद्योग केन्द्र के किसी एक अधिकारी के पद को, जिसका स्तर जिला उद्योग अधिकारी के पद से निम्न का ना हो को MSMED Act.2006 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के अवकाश पर या अनुपस्थित होने की स्थिति में केवल उद्यमी ज्ञापन भाग-1 व भाग-1A को स्वीकार करने व अभिस्वीकृति सूचना जारी करने के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के स्तर के बराबर घोषित कर दें।



(डॉ० मोहन लाल यादव)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम), सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, (भारत सरकार), निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को उनके पत्रांक 5(2)2010-सू.ल.म.उ.नीति दिनांक 21.2.2011 के क्रम में।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, 22- गौदाम औद्योगिक सम्पदा, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर समस्त
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र समस्त
6. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, रक्षित पत्रावली जिला उद्योग उपकेन्द्र समस्त।



उप शासन सचिव